उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

महाप्रबन्धक (औ0स0) e-mail-ashok.agnihotri@yahoocom

शक्ति भवन: 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक: 11.05.2010

सं0 : 40 – विनियम एवं औस / पाकालि / 2010–7–विनियम / 88

कार्यालय–ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 " जो कि सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रभावी हैं, के विनियम–9 : शैक्षिक अर्हताएँ के अन्तर्गत नैत्यिक श्रेणी लिपिक / समयपाल सम्प्रति कार्यालय सहायक (श्रेणी–3) पद हेतु क्रमांक (2) पर उल्लेखित शैक्षिक अर्हताओं जो कि निम्न स्तम्भ–1 में इंगित हैं, को एतदद्वारा निम्न अंकित स्तम्भ–2 में इंगित शैक्षिक / प्रावैधिक अर्हताओं से तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ – 1	स्तम्भ – 2
2. नैत्यिक श्रेणी लिपिक / समयपाल	**2. कार्यालय सहायक (श्रेणी–3)**
हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गई उसके समतुल्य अन्य कोई परीक्षा।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) टाइपराइटर एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी / अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 / 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सहित कम्प्यूटर के क्षेत्र में वर्ड एवं एक्सेल की जानकारी।

2. एतदद्वारा, यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व तक की अवधि के प्रकरणों का निस्तारण मूल विनियमावली–1970 के प्राविधानानुसार किया जाए। जिन प्रकरणों का निस्तारण तत्समय लागू विज्ञप्ति सं0 531–विनियम–23 / राविप / 98 दिनांक 22.12.98 के अनुसार किया जा चुका है, उनको पुर्नउद्घाटित (री–ओपन) नहीं किया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन सं0 : 40(1) – विनियम एवं औस / पाकालि / 2010–7–विनियम / 88 तद्दिनांक। 11/5/2010

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

2 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

11/5/10

3 अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

5 समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निजी सचिव।,

6 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचॉल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।

7 अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।

8 मुख्य अभियन्ता (ज0वि0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

9 महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/महाप्रबन्धक (औस), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

10 अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अरा0, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

11 संयुक्त सचिव (काविनी), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

12 मस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड/डिस्काम/केस्को।

13 कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक 371/पाकालि/बैठक/2010 दिनांक 04.05.2010 के सन्दर्भ में।

11/5/10

(जावेद अहमद)
<u>अनुसचिव (विनियम)</u>